न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्र.सं. 79/2021
जीसीएमएस नं. : 2021/102

1. लक्ष्मणदास पुत्र ठाकरदास जाति अरोड़ा निवासी श्रीविजयनगर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर
2. कुलवीर कौर पुत्री रतन सिंह जाति जटसिख निवासी 15 बीजीडी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.

बनाम

1. मीरा देवी पत्नी रूपाराम जाति नायक निवासी 26 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
2. खेम सिंह पुत्र भाग सिंह जाति रामगढिया निवासी 76 जीबी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर राज......(मृतक)
   2/1. छिन्द्र सिंह पुत्र खेम सिंह जाति रामगढिया निवासी 15 बीजीडी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
   2/2. राज सिंह पुत्र खेम सिंह जाति रामगढिया निवासी 15 बीजीडी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राज.
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. श्री गुरविन्द्र सिंह ववात्रा, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री ओम धायल, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2/1–2/2
3. एकपक्षीय कार्यवाही, अप्रार्थी सं. 1
4. राजपैरोकार

–:: आदेश ::–

दिनांक : 28.10.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि –

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि चक 15 बीजीडी मु.नं. 184/403(46) का कि.नं. 1 ता 25 का रकबा कुलवीर कौर के नाम से एवं प.नं. 185/404 कि.नं. 1 ता 19, 21 ता 25 रकबा प्रार्थी लक्ष्मणदास के नाम से रिकार्ड दर्ज है तथा प्रार्थीगण के रकबा के पश्चिम में मु.नं. 185/403 व 185/404 का रकबा अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीगण के रकबा के पश्चिम में रायसिंहनगर – श्रीविजयनगर मुख्य सड़क निकली है जो मौका पर चालू है। मुख्य सडक से मु.नं. 185/403 कि.नं. 21 ता 25 में 2–2 बिस्वा भूमि रास्ता आम के रूप में स्वीकृत है और मौका पर चालू है जो कि प्रार्थीगण के रकबा को मुख्य सडक से जोडती है। चूंकि प.नं. 185/403 व 185/404 का रकबा रायसिंहनगर–श्रीविजयनगर मुख्य सडक पर स्थित होने से व श्रीविजयनगर नई धानमण्डी एवं अन्य औद्योगिक इकाईयों के पास स्थित होने से अप्रार्थीगण [illegible] द्वारा मुख्य [illegible] पर आने जाने वाले अपने रकबा में औद्योगिक ईकाईयां प्रारम्भ कर [illegible] गोदाम आदि बनाये हुए है जिस कारण से प्रार्थीगण [illegible] रास्ता जो कि मौका पर 16.5 फुट [illegible] से जोडने वाला [illegible] खडे रहने एवं गोदाम में माल के लोडिंग, [illegible] चालू में भारी माल वाहनों [illegible] अनलोडिंग का कार्य किये [illegible] भारी माल वाहनों का आवागमन दिन भर रहने से उक्त सम्पर्क सडक की चौडाई मात्र 16.5 फुट होने से पूरी सडक ब्लॉक हुई रही है। जिस कारण प्रार्थीगण अपने कृषि यंत्रो को उक्त प.नं. 185/403 कि.नं. 21 ता 25 में चल रहे रास्ता के दक्षिण में स्थित मु.नं. 185/405 कि.नं. 1 ता 5 में खाली पडी जगह से निकालते है जो काफी अरसा से रास्ता के उपयोग में आ रही है। आदि तथ्य अंकित कर अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के प्रयोजनार्थ प.नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.11.06 13:19:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

185/403 कि.नं. 21 ता 25 में चल रहे रास्ते को इसके दक्षिण में स्थित मु.नं. 185/404 कि.नं. 1 ता 5 में 14-14 फुट 5 वीघा लम्बाई तक विस्तारित कर रास्ता की चौड़ाई 30 फुट स्वीकृत करने विकल्प में प.नं. 185/403 कि.नं. 21 ता 25 में चल रहा रास्ता 16.5 फुट को ही विस्तारित कर 30 फुट चौड़ाई का किया जाने के आदेश देने हेतु निवेदन किया है।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलव किया गया। अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं. 2/1-2/2 जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण की भूमि मे से रायसिंहनगर श्रीविजयनगर मुख्य सड़क जिसकी चौड़ाई 40 फीट मौके पर डामर रोड बनी है व चल रही है। प्रार्थी लक्ष्मण दास की भूमि के लिए अप्रार्थीण की भूमि के कि.नं. 21 ता 25 में 23 विस्वा रास्ता है जो मौके पर चल रहा है। यह रास्ता कभी भी बाधित नहीं रहा है तथा मौके पर रिकार्ड मुताबिक 16.5 फुट चल रहा है व खडवंजा बना हुआ है। प्रार्थी लक्ष्मण दास की भूमि अनकमाण्ड भूमि है न तो लक्ष्मण दास के द्वारा उसको काश्त किया जा रहा है। औद्योग्कि क्षेत्र नजदीक होने के कारण प्रार्थी लक्ष्मण दास के मन में लालच आ जाने के कारण तथा भविष्य में उक्त अनकमाण्ड भूमि को भू-रूपान्तरण करने के उद्देश्य से कीमतों में वृद्धि करने के लिए लक्ष्मण दास द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जो कि खारिज योग्य है। प्रार्थीया कुलवीर कौर की भूमि के उत्तर दिशा में गांव की आवादी है जिसकी फिरनी कुलवीर कौर की भूमि से चिपती हुई है कुलवीर वहां से निर्वाध आवागमन कर रही है। कुलवीर कौर की भूमि की पूर्व दिशा में 16.5 फुट स्वीकृत रास्ता है। जो कि निर्वाध रूप से चला रहा है। प्रार्थीगण द्वारा मात्र अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के आश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। कि.नं. 21 ता 25 मे स्वीकृत रास्ता जिसकी चौड़ाई 16.5 फुट चला रहा है। यदि इस रास्ता की चोडाई को बढाया जाता है तो अप्रार्थीगण की भूमि रास्ता में ही चली जायेगी जिस कारण अप्रार्थीगण को भारी नुकसान होगा। खेत में आवागमन हेतु 30 फुट रास्ते होने का कोई प्रावधान नहीं है। कुलवीर कौर की भूमि के उत्तर दिशा व पूर्व दिशा में स्वीकृत रास्ते चल रहे है। लक्ष्मण दास अपनी अनकमाण्ड भूमि को इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से रास्ते को चौडा कर मुख्य सड़क पर लाना चाहता है। जिससे भविष्य में भूमि की कीमतों में वृद्धि हो जायेगी जो कि अनुचित है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

3. तहसीलदार श्रीविजयनगर से मौका जाच रिपोर्ट तलब की गयी जो तहसीलदार श्रीविजयनगर के 479 दिनांक 17.04.2023 एवं पत्रांक 462 दिनांक 20.06.2025 के माध्यम से प्राप्त हुई। पीठासीन अधिकारी स्वंय द्वारा मौका स्थल का निरीक्षण किया गया। बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पहले से स्वीकृत रास्ता पर भारी वाहनों के आवागमन होने तथा वेयर हाउस के रोड पर वाहन खड़े रहने से रास्ता के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न होती है इसलिए उक्त स्वीकृतशुदा मार्ग की चौड़ाई में विस्तार किया जाना अत्यंत आवश्यक है अन्यथा प्रार्थीगण अपने खातेदारी अधिकारो और अपनी भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित हो जाएगें। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। [illegible] अप्रार्थीगण कथन किया कि प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आवागम[illegible] हेतु पहले से ही मार्ग उपलब्ध है, मात्र अपनी भूमि को रायसि[illegible] सड़क से जोडने ताकि उनकी भूमि की कीमत में [illegible] उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी लक्ष्मणदास द्वारा अपनी भूमि [illegible]र काश्त नहीं की जा रही है। अप्रार्थीगण को परेशान करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया है, प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

4. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयनगर पर मनन किया। प्रार्थीगण ने अपनी भूमि में

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.11.06 13:19:57 IST
Reason: SelfAttested

आवागमन हेतु पूर्व से चल रहे रास्ता जो कि भारी वाहनों के आवागमन के कारण बाधित हो जाता है अंकित करने हेतु स्वीकृतशुदा मार्ग की चौड़ाई में विस्तार करने हेतु निवेदन किया है जिस पर अप्रार्थीगण ने आपत्ति जाहिर कर निवेदन किया है कि प्रार्थी सं. 1 को मार्ग उपलब्ध है विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है तथा अप्रार्थी सं. 2 को दूसरी ओर से स्वीकृशुदा मार्ग लगता है प्रार्थना पत्र खारिज करने की प्रार्थना की है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयनगर के अनुसार सायत प्रार्थी सं. 1 को अपनी भूमि में आवागमन हेतु मार्ग उपलब्ध है जिसका प्रार्थी विस्तार करवाना चाहता है। प्रार्थी सं. 2 कुलवीर कौर का भी अपनी भूमि में आवागमन हेतु स्वीकृतशुदा रास्ता लगता है जो कि चालू है। प्रार्थीगण कुलवीर कौर और लक्ष्मण दास को अपने रकबा में जाने के लिए प.न. 185/403 कि.नं. 21 ता 25 मे रास्ता स्वीकृत शुदा है। जो चालू अवस्था में है। रास्ते के दक्षिण की ओर अप्रार्थी सं. 1 की गैर मु. औद्योगिक भूमि में बने वेयर हाउस की दीवार व उत्तर की तरफ भूमि का तल 8–9 फुट गहरा होने के कारण खाईनुमा प्रतीत होता है। वेयर हाउस में भारी वाहनों के आवागमन के कारण प्रार्थी को रास्ता उपभोग करने पर बाधा उत्पन्न होती है। प्रार्थी कि.न. 21 ता 25 में स्वीकृतशुदा रास्ता के साथ साथ 13.5 फुट रास्ता चाहता है। जबकि आईजीएनपी क्षेत्र मे खेत से खेत को जाने वाले रास्ते 16.5 फुट व गांव से गांव को जाने वाला रास्ता 33 फुट स्वीकृत है। प.न. 185/403 में पूर्व से ही गांव से गांव व खेत से खेत रास्ता स्वीकृतशुदा है। प.न. 185/403 खातेदार कुलवीर कौर की कि.नं. 1 में ढाणी बनी हुई है। रकबा आबादी से विघटा होने के कारण खातेदार उक्त रास्ता का उपयोग न कर आबादी भूमि में बनी सड़क का उपयोग करता है। इस प्रकार प.न. 185/403 कि.नं. 21 ता 25 स्वीकृतशुदा रास्ता खेत में भारी वाहनों का आवागमन बन्द कर प्रार्थीगण स्वीकृतशुदा रास्ता का उपयोग कर सकता है।

5. प्रार्थना पत्र, जवाब प्रश्नना पत्र प्रकरण मे तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों और वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का यह मत है कि प्रार्थीगण को अपनी अपनी भूमि में आवागमन हेतु स्वीकृतशुदा मार्ग उपलब्ध है, प्रार्थीगण द्वारा वांछित मार्ग की चौड़ाई मे विस्तार हेतु संयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिससे प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण एक ईकाई के रूप में समझे जा सकते है। प्रार्थी सं. 2 को अपनी भूमि में आवागमन हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध है। मौका स्थिति के अनुसार जिस मार्ग के विस्तार हेतु आवेदन किया गया है उसके एक ओर दीवार तथा दूसरे ओर की जगह काफी नीचे है। स्वीकृतशुदा मार्ग चालू है। स्वीकृतशुदा मार्ग का उपयोग करने से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है। यदि किसी पक्ष अथवा किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वीकृतशुदा मार्ग को बाधित किया जाता है तो प्रार्थी सक्षम न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा रास्ता विस्तार हेतु की गई मांग उचित नहीं है, चूंकि मार्ग पहले से उपलब्ध है, वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध है और रास्ता हेतु की जा रही मांग मात्र सुखाधिकार के लिए है न कि अत्यांतिक आवश्यकता है। ऐसे में प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर दिनांक 28.10.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.11.06 13:19:57 IST
Reason: SelfAttested

शकुन्तला
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर